भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1425

गुरूवार, 09 दिसम्बर, 2021/18 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

देश में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

1425. श्री राम शकलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

वर्तमान में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

पर्यटन मंत्रालय अपनी 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)' और 'बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार' (ओपीएमडी) योजनाओं के माध्यम से देश में पर्यटन का संवर्द्धन करता है। इन योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है।

पर्यटन मंत्रालय देश के भीतर घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन तथा प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाता है। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों और उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ-साथ आला पर्यटन उत्पादों पर फोकस के साथ देश के भीतर पर्यटन का संवर्द्धन करना, सामाजिक जागरूकता संदेशों का प्रसार करना और पर्यटन क्षमता वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय की देश में पर्यटन के संवर्द्धन के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं हैं:

1) स्वदेश दर्शन: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमे देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों / केंद्रीय एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजनाओं के तहत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

2) प्रशाद: "तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन" पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में चिह्नित तीर्थ और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से आरम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना विकास करना है जैसे कि गंतव्य प्रवेश बिंदुओं का विकास/उन्नयन अर्थात यात्री टर्मिनल (सड़क, रेल और जल परिवहन) का विकास/उन्नयन, मूलभूत सुविधाएं जैसे पर्यटन सूचना/ एटीएम के साथ व्याख्या केंद्र/मुद्रा विनिमय काउंटर, सड़क संपर्क में सुधार (अंतिम मील कनेक्टिविटी), परिवहन के पर्यावरण हितैषी साधनों के लिए उपकरणों की खरीद और पर्यटक गतिविधियाँ जैसे लाइट एंड साउंड शो के लिए उपकरण, पर्यटक अवसंरचना के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, पार्किंग सुविधाएं, शौचालय, क्लोक रूम सुविधाएं, प्रतीक्षालय, शिल्प हाट/ बाजार/स्मारिका दुकानों/कैफेटेरिया, रेन शेल्टर, वॉच टावर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण टेलीफोन बूथ, मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके संचार में सुधार करना है।

3) पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट, भारत पर्यटन विकास निगम आदि को केंद्रीय वित्तीय सहायता। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत पर्यटक परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।

4) आईएचएम/एफसीआई को केंद्रीय वित्तीय सहायता : पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय की एक सक्षम योजना "आईएचएम/एफसीआई आदि को सहायता" है। जिसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम), खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई) की स्थापना और सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (यथा) पॉलिटेक्निक, कॉलेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से आतिथ्य शिक्षा की व्यापकता के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा सकती है।

5) चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना: चैंपियन सेवा क्षेत्र (सीएसएस) योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करता है:-

i. संवृद्धन और विपणन सहित बौद्ध परिपथ में टेंटेड आवास का निर्माण
ii. हवाई संपर्क में सुधार के लिए प्रोत्साहन देना
iii. प्रतिष्ठित स्थलों और उनके आसपास क्षमता निर्माण कार्यक्रम [पर्यटक सुविधाप्रदाताओं को भाषा प्रशिक्षण]
iv. उभरते बाजारों में टूर ऑपरेटरों को प्रोत्साहन
v. एमआईसीई पर्यटन का संवृद्धन

6) एक विरासत अपनाएं परियोजना: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान" परियोजना शुरू की है जो पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए एक सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार का एक संयुक्त प्रयास है।

इस परियोजना का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियों, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठनों, निजी व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों को 'स्मारक मित्र' बनने और अपनी रुचि तथा सीएसआर के अंर्तगत एक स्थायी निवेश मॉडल के रुप में व्यवहार्यता के अनुसार इन स्थलों में आधारभूत और उन्नत पर्यटक सुविधाओं का विकास और उन्नयन करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वे इन स्थलों के प्रचालन एवं रखरखाव का कार्य भी करेगें।

****